संग्रह का मुख्य दायित्व उपजिलाधिकारी और तहसीलदार का है। संग्रह कार्य के लिये प्रत्येक तहसील में संग्रह अमीन

वसूली के लिये तैनात किए जाते है जो नायब तहसीलदार के नियन्त्रण में कार्य करते हैं। तहसील कार्यालय पर वसूली अभिलेखों का रख–रखाव वा0वा0नवीस व उसके सहायकों द्वारा किया जाता है। प्रदेष के विकास हेतु संसाधन जुटाने के लिये संग्रह कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेष के हर जिम्मेदार नागरिक को बकायों की अदायगी में रूचि लेना चाहिए। जिम्मेदारियों से विरत होने की दषा में संग्रह के लिये निम्न कार्यवाहियों में से कोई एक या अनेक साथ–साथ अपनाये जा सकते है :–

बकायेदार के विरूद्व देयों की वसूली हेतु वारण्ट गिरफ्तारी जारी करना तथा गिरफ्तार करके 14 दिन राजस्व हवालात में बन्द कराना।

बाकीदार की चल, सम्पत्ति की कुर्की व नीलामी करना।

बाकीदार की अचल सम्पत्ति की कुर्की व नीलामी करना।

बाकीदार की भूमि को कुर्क कर पट्टा पर उठाना।

<u>संग्रह के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियॉ</u>

जब कभी भी अमीन धनराषि की अदायगी करे तब रसीद अवष्य प्राप्त कर लें।

बाकीदार की अचल सम्पत्ति नीलामी कर दी गई है हो और वह नीलाम के दिनॉक से 30 दिन भीतर यदि बकाया की पूर्ण अदायगी करता है तो वह ऐसी धनराषि की अदायगी पर उसकी सम्पत्ति कुर्की व नीलामी से मुक्त हो सकती है, परन्तु उसे नीलामी क्रेता द्वारा नीलामी में जमा धनराषि पर 5 प्रतिषत अतिक्ति धनराषि अवष्य देना होगा।

बकायेदार यदि अचल सम्पत्ति के नीलाम से क्षुब्ध है तो वह मण्डलायुक्त को आपत्ति दे सकता है।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com